

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 886] No. 886] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 27, 2016/पौष 6, 1938 NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 27, 2016/PAUSA 6, 1938

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2016

सा.का.नि. 1174(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 248 की उपधारा (1), (2) और (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और कंपनी (केंद्रीय सरकार) साधारण नियम और प्ररूप, 1956 को उन बातों के सिवाए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्ण किया गया है या लोप करने के लिए किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् -

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (कंपनी के रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषाएं.- (1) इन नियमों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो।
 - (क) "अधिनियम" से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) अभिप्रेत है।
 - (ख) "प्ररूप" या "ई-प्ररूप" से इन नियमों के साथ संलग्न गैर-इलेक्ट्रानिक प्ररूप या इलेक्ट्रानिक प्ररूप से अभिप्रेत है।
- (2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां जो परिभाषित नहीं है किंतु जिन्हें इस अधिनियम या कंपनी (परिभाषा विवरण के विनिर्देशन) नियम, 2014 में परिभाषित हैं के क्रमशः वहीं अर्थ होंगे जो उन्हें अधिनियम या उल्लिखित नियम में दिए गए हैं।
- **3. कंपनी के रजिस्टर से स्वतः आधार पर कंपनी का नाम हटाना.-** (1) कंपनी रजिस्ट्रार इस अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (1) के अनुसार कंपनियों के रजिस्टर से किसी कंपनी का नाम हटा सकता है।

परंतु यह कि कंपनियों की निम्नलिखित श्रेणियों को इस नियम और नियम 4 के अधीन कंपनियों के रजिस्टर से नहीं हटाया जाएगा, अर्थात:-

- (i) सूचीबद्ध कंपनियां;
- (ii) कंपनियां जो सूचीकरण विनियमों या सूचीकरण करार या कोई अन्य कानूनी विधियों की गैर अनुपालना के कारण असूचीबद्ध कर दी गई है;
- (iii) लुप्त कंपनियां;

5932 GI/2016 (1)

- (iv) कंपनियां जहां निरीक्षण या जांच का आदेश दिया गया है और उसका अनुपालन किया जा रहा है या ऐसे आदेश पर कार्रवाई की जानी है या पूरी कर ली गई है किंतु ऐसे निरीक्षण या जांच से उत्पन्न अभियोजन न्यायालय में लंबित है;
- (v) ऐसी कंपनियां जहां कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 234 या धारा 206 या धारा 207 के अधीन रिजिस्ट्रार या निरीक्षक द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं और उनका उत्तर लंबित है या धारा 208 के अधीन रिपोर्ट अभी प्रस्तुत नहीं की गई है या धारा 208 के अधीन रिपोर्ट पर निर्देशों की अनुवर्ती कार्रवाई लंबित है या जहां ऐसी जांच या संवीक्षा, यदि कोई हो, से उत्पन्न कोई अभियोजन न्यायालय में लंबित हो;
- (vi) कंपनियों जिनके विरूद्ध किसी अपराध के लिए किसी न्यायालय में अभियोजन लंबित हो;
- (vii) कंपनियां जिनका आवेदन सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख कंपनी द्वारा किए गए अपराधों या इसके किसी अधिकारी द्वारा चूक के प्रशमन करने हेतु लंबित हो;
- (viii) कंपनियां जिन्होंने सार्वजिनक जमाराशि स्वीकृत की है और वह राशि बकाया है या वह कंपनी उस राशि की वापसी में चूक कर रही है;
- (ix) कंपनियां जिन पर प्रभार शोधन के लिए लंबित हैं और
- (x) कंपनियां जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अधीन या इस अधिनियम की धारा 8 के अधीन रजिस्ट्रीकृत हैं;

स्पष्टीकरण - खंड (iii) के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति "लुप्त कंपनी" से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है जो इस अधिनियम या पहले का कोई कंपनी कानून या कोई अन्य कानून तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध है जिसने कंपनी रजिस्ट्रार और स्टॉक एक्सचेंज में लगातार दो वर्षों तक विवरणी फाइल करने में चूक की है और कंपनी रजिस्ट्रार और स्टॉक एक्सचेंज के पास अधिसूचित पते पर रजिस्ट्रीकृत कार्यालय नहीं चला रही है और इसके किसी भी निदेशक का पता नहीं चल रहा है।

- (2) उपनियम (1) के प्रयोजन के लिए हेतु रजिस्ट्रार प्ररूप एसटीके-1 में लिखित में एक नोटिस देगा जिसे कंपनी के सभी निदेशकों को अभिलेख में उपलब्ध पतों पर रजिस्टर्ड डाक से या पावती के साथ स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जाएगा।
- (3) नोटिस में वे कारण होंगे जिस पर कंपनी का नाम कंपनी के रजिस्टर से हटाया जाना है और कंपनी के विरूद्ध प्रस्तावित कार्रवाई के विरूद्ध अभ्यावेदन यदि कोई हो कंपनी और इसके निदेशकों से सुसंगत दस्तावेज यदि कोई हो, नोटिस की तारीख से तीस दिवस के भीतर मांगा जाएगा।
- **4. कंपनी का नाम हटाने के लिए आवेदन.-** (1) धारा 248 की उपधारा (2) के अधीन कंपनी का नाम हटाने के लिए आवेदन पांच हजार रुपए के शुल्क के साथ प्ररूप एसटीके-2 में किया जाएगा;
- (2) उप नियम (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन निम्नलिखित कंपनियों के संबंध में संबंधित उपयुक्त विनियामक प्राधिकारी के अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ दिया जाएगा, अर्थात्:-
 - (i) कंपनियां जिन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) या उसके अधीन नियमों और विनियमनों में यथा उल्लिखित गैर बैंककारी वित्तीय और निवेश क्रियाकलाप किए हैं या कर रही हैं;
 - (ii) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) के अधीन जारी आवास वित्त कंपनियां (राष्ट्रीय आवास बैंक) निदेश. 2010 में यथाउल्लिखित आवास वित्त कंपनियां:
 - (iii) बीमा कंपनियां जो बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) या उसके अंतर्गत नियमों और विनियमनों में निर्दिष्ट है;
 - (iv) पूंजी बाजार मध्यवर्तियों के व्यवसाय में कंपनियां जो सेबी अधिनियम, 1992 (1992 का 15) या उसके अंतर्गत नियम और विनियमनों में संदर्भित है:
 - (v) सामूहिक निवेश स्कीमें चलाने वाली कंपनियां जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) या उसके अंतर्गत नियम और विनियमनों में संदर्भित है;
 - (vi) आस्ति प्रबंधन कंपनियां जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) में या उसके अंतर्गत नियमों और विनियमनों में संदर्भित है;
 - (vii) कोई अन्य कंपनी जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन विनियमित है;
- (3) आवेदन प्ररूप एसटीके 2 में निम्नलिखित के साथ किया जाएगा-
 - (i) प्ररूप एसटीके-3 में प्रत्येक निदेशक द्वारा सम्यक् रूप से नोटरीकृत क्षतिपूर्ति बांड;

- (ii) एक लेखा कथन जिसमें कंपनी द्वारा उस समय तक जो आवेदन की तारीख से पूर्व तीस दिन से अधिक न हो की आस्तियों और देनदारियों का विवरण हो और चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित हो;
- (iii) कंपनी के प्रत्येक निदेशक द्वारा प्ररूप एसटीके 4 में एक शपथपत्र;
- (iv) कंपनी के प्रत्येक निदेशक द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित विशेष संकल्प या आवेदन की तारीख को प्रदत्त शेयर पूंजी के संबंध में 75% सदस्यों की सहमति की एक प्रति;
- (v) लंबित मुकदमेबाजी, यदि हो, के संबंध में कथन, यदि कंपनी शामिल हो।
- 5. **आवेदन करने की रीति.-** (1) आवेदन प्ररूप एसकेटी-2 में बोर्ड द्वारा उनके निमित्त प्राधिकृत निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।
- (2) जहां संबंधित निदेशक के पास पंजीकृत डीएससी नहीं है तो प्ररूप की एक वास्तविक प्रति निदेशक द्वारा हाथ से हस्ताक्षरित होगी जो इसके लिए विधिवत् प्राधिकृत है और प्ररूप अपलोड करते समय प्ररूप एसटीके-2 के साथ संलग्न की जाएगी।
- **6. प्ररूप जो प्रमाणित किए जाने है.-** प्ररूप एसटीके-2 को यथास्थिति पूर्णकालिक व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंट या पूर्णकालिक व्यवसायरत् कंपनी सचिव या पूर्णकालिक व्यवसायरत् लागत लेखाकार द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।
- **7. नोटिस के प्रकाशन की रीति.** (1) धारा 248 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अंतर्गत सूचना यथास्थिति प्ररूप एसटीके-5 या एसटीके-6 में होगी और इसे
 - (i) कारपोरेट कार्य मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर पृथक लिंक, जो ऐसी वेबसाइट पर इस संबंध में है, पर रखा जाएगा:
 - (ii) राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा;
 - (iii) जिस राज्य में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, उस राज्य में व्यापक परिचालन वाले अग्रणी अंग्रेजी समाचार पत्र में अंग्रेजी भाषा में और अग्रणी प्रांतीय भाषा के समाचार पत्र में प्रांतीय भाषा में कम से कम एक बार प्रकाशित किया जाएगा।

परंतु कि यदि धारा 248(2) के अंतर्गत कोई आवेदन किया जाता है, तो कंपनी इस आवेदन को भी अपनी वेबसाइट, यदि कोई हो, पर तब तक रखेगी, जब तक कि आवेदन का निपटान न किया जाए।

- (2) कंपनी रजिस्ट्रार इस नियम के अधीन कंपनी का नियमन करने वाले संबंधित विनियामक प्राधिकारियों के साथ-साथ आयकर प्राधिकारियों, केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों और कंपनी पर क्षेत्राधिकार रखने वाले सेवा कर प्राधिकारियों को ऐसी कंपनियों को हटाने/नाम हटाने संबंधी प्रस्तावित कार्रवाई हेतु सूचित करेंगे और कोई आपत्ति यदि हो, तो इस सूचना पत्र के जारी होने की तिथि से तीस दिवस के भीतर आपत्ति मागेंगे और यदि 30 दिवस के भीतर संबंधित प्राधिकारी से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है यह माना जाएगा कि नाम काटने या हटाने की प्रस्तावित कार्रवाई पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।
- 8. नोटरी, क्षतिपूर्ति बांड का नोटरीकरण, अपोस्टिलाइसेशन या कान्सुलराईसेशन या विदेशी नागरिकों या प्रवासी भारतीयों के मामले में घोषणा.- इन नियमों के प्रयोजनों के लिए यदि व्यक्ति विदेशी नागरिक या प्रवासी भारतीय है तो क्षतिपूर्ति बांड और घोषणा को नोटरीकृत या अपोस्टिलाइस्ड या काउन्सलराईज किया जाएगा।
- **9. नाम हटाने और कंपनी के विघटन की सूचना.-** प्ररूप एसटीके-7 में रजिस्ट्रार धारा 248 की उपधारा (5) के अंतर्गत कंपनी का नाम कंपनी के रजिस्टर में से हटाने और उसके विघटन को भारत के राजपत्र में प्रकाशित करने की सूचना देगा और उसे कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर भी रखा जाएगा।
- 10. केंद्रीय सरकार के समक्ष लंबित आवेदन या प्ररूप.- इन नियमों के प्रारंभ से पहले कंपनी रजिस्ट्रार के समक्ष फाइल किया गया नाम काटने के लिए कोई आवेदन या लंबित कार्यवाही या प्ररूप एफटीई जिसे ऐसे प्राधिकारी द्वारा कोई सूचना या दस्तावेज न मिलने के कारण निपटाया नहीं गया है, उसे प्रस्तुत किए जाने पर, प्राधिकारी की संतुष्टि होने पर, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार निपटाया जाएगा।

प्ररूप सं. एसटीके-1

रजिस्ट्रार द्वारा कंपनी रजिस्ट्रार से किसी कंपनी का नाम हटाने के लिए नोटिस

कंपनी ः	अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (1) और कंपनी (कंपनी के रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 नियम 3 के अनुसरण में]
	भारत सरकार
	कारपोरेट कार्य मंत्रालय
	कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय(राज्य)
	(कंपनी रजिस्ट्रार का पता)
पत्र सं	तारीख
	संदर्भः
कंपनी आ	धिनियम, 2013 में मैसर्सके मामले में।
सेवा में,	
`` ',	

	नी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अनुसरण में, नोटिस दिया जाता है कि उपलब्ध भेलेख के अनुसारः-
	ज कंपनी अपने निगमन के एक वर्ष के भीतर अपना कारोबार प्रारंभ करने में असफल रही; अथवा
[कंपनी तुरंत पूर्ववर्ती दो वित्तीय वर्षों की अवधि में कोई कारोबार या संचालन नहीं कर रही है और इस अवधि में धारा 455 के तहत एक निष्क्रिय कंपनी का स्तर प्राप्त करने के लिए कोई आवेदन नहीं किया है।
[जंपनी ने धारा 248 की उपधारा (1) में उल्लिखित आधार पर कंपनी रजिस्ट्रार से नाम हटने के लिए धारा 248 की उपधारा (2) के तहत आवेदन किया है। <i>(जो लागू है उस पर निशान लगाएं)</i>
	भतः, उपरोक्त कारण/कारणों के आधार पर, मैं कंपनी का नाम कंपनी रजिस्ट्रार से हटाना चाहता हूं और आपसे अनुरोध है कि इस नोटिस की प्राप्ति से तीस दिनों के भीतर संबंधित दस्तावेजों की प्रतियों (यदि कोई हो तो) सहित अपना अभ्यावेदन भेजें।
	जब तक कि उपर्युक्त समयावधि के भीतर अन्यथा कारण न बताया जाए, उपर्युक्त कंपनी का नाम कंपनी रजिस्टर से हटाया जा तकता है। यद्यपि, कंपनी के निदेशक अधिनियम के अधीन उचित कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होंगे।
	कंपनी रजिस्ट्रार
सेवा में,	
कंपनी/स	मी निदेशक
	कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार डाक भेजने का पता

प्रति सभी निदेशकों कोः (यदि केवल कंपनी के लिए नोटिस जारी की जाती है)

प्ररूप संख्या एसटीके.2

[कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) और हटाना) नियम, 2014 के नियम 4(1) के अनुसरण में]



कंपनी रजिस्टर से अपना नाम हटाने के लिए कंपनी द्वारा आरओसी को आवेदन

कंपनी (कंपनियों के रजिस्टर से कंपनियों का नाम प्ररूप की भाषा o अंग्रेजी o हिंदी प्ररूप भरने के लिए निर्देश किट देखें। पूर्व पूरित 1. *(क) कम्पनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) (ख) कम्पनी की वैश्विक स्थल संख्या (जीएलएन) 2. (क) कम्पनी का नाम (ख) कम्पनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता (ग) कम्पनी की ई-मेल आईडी (घ) कंपनी के निगमीकरण की तारीख 3. (क) *क्या कंपनी सूचीबद्ध है अथवा नहीं 0 हां 0 नहीं (ख) *क्या कंपनी को सूची से हटा दिया गया हैं 0 हां 0 नहीं (यदि हां, संबंधित स्टॉक एक्सचेंज से नाम हटाने के लिए संबंधित आदेश की प्रति संलग्न करें) *4. क्या कंपनी की गतिविधियां आरबीआई, सेबी, आईआरडीए आदि जैसे किसी प्रादेशिक नियामक द्वारा विनियमित है, जो किसी विशेष अधिनियम के तहत विनियमित है 0हां 0नहीं (क) यदि हां तो नियामक का नाम (ख) रजिस्ट्रीकरण संख्या (ग) नियामक निकाय के अनुमोदन की तारीख 5. * क्या नाम हटाने के लिए विशेष संकल्प पारित किया गया है 0 हां 0नहीं (क)*प्रस्ताव पारित होने की तारीख का उल्लेख करें (ख)*यदि नहीं, तो क्या प्रदत्त शेयर पूंजी के संबंध में पचहत्तर प्रतिशत सदस्यों की सहमति प्राप्त और संलग्न की गई है 0 हां 0 नहीं

6. (क)* संगम ज्ञापन (एमओए) के अनुसार कंपनी के मुख्य उद्देश्यों का संक्षिप्त वर्णन
(ख) *कंपनी द्वारा किए गए अंतिम मुख्य कारोबार का संक्षिप्त विवरण
7. कंपनी के निदेशक (निदेशकों), प्रबंध निदेशक, प्रबंधक, सचिव, सीईओ या सीएफओ का विवरण
*कंपनी के निदेशक, प्रबंध निदेशक, प्रबंधक, सचिव, सीईओ या सीएफओ की संख्या
(यदि निदेशक या प्रबंधन निदेशक हैं, तो निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन), अन्यथा आयकर स्थायी खाता संख्या (आयकर पैन) या पासपोर्ट संख्या उपलब्ध करें)
*0डीआईएन या 0आयकर पैन 0पासपोर्ट नंबर (पूर्व पूरित)
* पदनाम
* नाम
* वर्तमान आवासीय पता
पंक्ति।
पंक्ति ॥
शहर
देश पिन कोड
8. (क)* क्या कंपनी या कंपनी के किसी निदेशक के विरूद्ध कोई मुकदमा लंबित हैं या क्या वह कंपनी या उसका कोई निदेशक किसी
मुकदमें में शामिल है
0 हां 0नहीं (ख)* लंबित अभियोग से संबंधित विवरण
(ख) लाबत आभयाग स संबाधत ।ववरण (यदि एक से ज्यादा मुकदमा हैं, तो ऐसे सभी मुकदमों का ब्यौरा संलग्न करें)
(i) वह अधिनियम जिसके अधीन अभियोग लंबित है
(y
(ii) उस प्राधिकारी का नाम जिसके पास यह अभियोग लंबित है

(iii) मामला संख्या			
(iv) विषयवस्तु			
9. 菲*	सुपुत्र/सुपुत्री		
	नेयम की धारा 248 के तहत कंपनी रजि	स्टर से कंपनी का नाम हट	ाने के लिए यह आवेदन करता हूं
तथा घोषणा करता हूं कि :			

- (i) मैं निदेशक मंडल द्वारा तारीखके संकल्प सं*......द्वारा कंपनी रजिस्टार से कंपनी का नाम हटाने के लिए इस आवेदन पर हस्ताक्षर करने और उसे प्रस्तुत करने के प्राधिकृत किया गया हूं;
- (ii) यह आवेदन धारा 248 की उपधारा (1) और (2) और 249 की उपधारा (1) के अधीन उल्लिखित शर्तों के अनुसार किया गया है;
- (iii) कंपनी के विरूद्ध निरीक्षण या अन्वेषण का न कोई आदेश हुआ है और न कोई निरीक्षण या अन्वेषण किया गया है या किया जाना है या किया जा रहा है तथा यदि किसी कंपनी का निरीक्षण या अन्वेषण किया वहां ऐसे निरीक्षण या जांच का कोई उत्तर लंबित नहीं है, या ऐसे निरीक्षण या अन्वेषण से उत्पन्न कोई अभियोजन किसी न्यायालय में लंबित नहीं है;
 - (iv) कंपनी के पास ऐसी कोई सार्वजनिक जमा नहीं है जो बकाया है और न ही कंपनी द्वारा उसके पुनर्भुगतान या उस पर ब्याज में चूक हुई है;
 - (v) कंपनी के पास प्रतिभूत या अप्रतिभूत किसी भी प्रकार का उधार देय नहीं है
 - (vi) कंपनी की ओर केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार, सांविधिक प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरणों को देय आयकर, बैट, उत्पाद शुल्क, सेवा कर या कोई अन्य कर या फीस बकाया नहीं है;
 - (vii) कंपनी की सभी अन्य देनदारियां चुका दी गई या विमुक्त या समाप्त कर दी गई हैं;
 - (viii) इस अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों में कंपनी रजिस्टर से कंपनी का नाम हटाने और उससे संबंधित अनुषंगी विषयों या अनुपुरकों संबंधी सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है।
 - (ix) इस आवेदन और इसके संलग्नकों में दी गई सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण हैं।
 - (x) कि अपेक्षित फीस दे दी गई है।
- 10. मैं/हम यह समझते है कि मैं/हम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 251 के अधीन दंड का/के अधिकारी होउंगा/होंगे यदि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 और धारा 249 के साथ पठित धारा 251 के अर्थ के अधीन आवेदन को किसी चरण में कपटपूर्ण पाया जाता है।

अनुलग्नक

अनुलग्नकों की सूची

- 1. *कंपनी की परिसंपत्तियों और देनदारियों को दर्शाने वाले तथा चार्टर्ड अकाउंटेट द्वारा सत्यापित विवरण जो कंपनी द्वारा आवेदन करने की तारीख से तीस दिन पहले से अधिक का नहीं हो। संलग्न
- 2. *इस आवदेन की फाइलिंग को प्राधिकृत करने वाले बोर्ड संकल्प की प्रति संलग्न
- 3. *परित हुए विशेष संकल्प की प्रति या धारा 248 की उपधारा (2) के तहत सम्मित की प्रतियां, जो भी लागू हों
- 4. * प्ररूप सं. एसटीके-3 में (निदेशक (निदेशकों) द्वारा व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से दिया जाए) क्षतिपूर्ति बांड

 *प्ररूप सख्या एसटीके 	-4 मे शपथ पत्र			सलग्न		
 इस आवेदन की फाइलिंग को अनुमोदित करने वाले संबद्ध नियामक प्राधिकरण यदि कोई हो तो, के आदेश की प्रति 						
7. सुसंगत स्टॉक एक्सचेंच	7. सुसंगत स्टॉक एक्सचेंच से हटाने के लिए संबद्ध आदेश, यदि कोई हो, की प्रति					
8. लागू नियम के अनुसार	र अन्य संलग्नक			संलग्न		
9. वैकल्पिक संलग्नक, यरि	दे कोई हों तो			संलग्न		
				संलग्नक हटाएं		
* निम्नलिखित द्वारा डिजीटल हर	स्ताक्षर किया जाना है					
* पदनाम			डीएससी बॉक्स			
* निदेशक की निदेशक पहचान स	तंख्या; अथवा					
प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ	का डीआईएन या पैन; अथवा					
कम्पनी सचिव की सदस्यता संख्	या					
	कार्यरत पेशे	वर द्वारा प्रमाण-पत्र				
मैं घोषित करता हूँ कि मुझे इस कम्पनी अधिनियम, 2013 के नियमों को पढ़ लिया है और मैंने फॉर्म की विषय-वस्तु है और उन्हे	उपबंध और इस प्ररूप की विष उपर्युक्त सूचना (संलग्नकों सहित	य-वस्तु एवं इससे संबंधि त) कम्पनी के पास उपलब्ध	त मामलों के संबंध में ग्र मूल अभिलेख से सत्या	अधिनियम के अंतर्गत पित की है जो कि इस		
निम्नलिखित द्वारा डिजीटल हस्त	ाक्षऱ किया जाना है					
० चार्टर्ड अका	उंटेंट (पूर्णकालिक व्यवसायरत)					
० लागत लेखा	कार (पूर्णकालिक व्यवसायरत)	डीएससी बॉक्स				
० कम्पनी सचि	वेव (पूर्णकालिक व्यवसायरत)					
एसोसिएट अथवा फैलो 0एसोर्	सिएट 0फैलो (रेडियो बटन)					
सदस्यता संख्या	प्रैक्टिस प्रमाणपत्र की	ां संख्या				
टिप्पण : धारा 448 के उपबंधों	की ओर ध्यान आकर्षित किया ज	ाता है जिनमें मिथ्या कथ	ा और प्रमाण-पत्र के लिए	 ए दंड का प्रावधान है।		
संशोधन करें	फॉर्म जांचें	पूर्व-संवीक्षा	प्रस्तुत करें			
केवल कार्यालय के प्रयोग के लिए	प् : फाइल किए जाने करें	ने वाला ब्यौरा संलग्न				
ई-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या (एन	• •	इायर करने की तारीख	(दिन/माह/वर्ष))		
प्राधिकृत करने वाले अधिकारी वे	h डिजीटल हस्ताक्षर					
यह ई-प्ररूप एतद्वारा अनुमोदित	किया जाता है					
यह ई-प्ररूप रद्द किया जाता है .	(प्रस्तु	तीकरण की पुष्टि करें)				
हस्ताक्षर करने की तारीख	(दिन	त/माह/वर्ष)				

प्ररूप सं. एसटीके – 3

क्षतिपूर्ति बांड

(उपयुक्त मूल्य के स्टांप पेपर पर तैयार किया जाए)

		(प्रत्येक निदेशक द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से दिया जाए)
[कंप	नी (कं	पनियों के रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना, नियम, 2016 के नियम 4 के उपनियम (3) के खंड (i) के अनुसरण में]
सेवा में,		
	कंपर्न	ो रजिस्ट्रार,
1.	~	म, कंपनी अधिनियम, 2013/कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन को निगमितको निगमित के निगमित के नी के नाम का उल्लेख करें) जिसका रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में है, के निदेशक यह घोषणा करते हैं
(i) मैं/हम		सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री इस कंपनी का/के निदेशक हूं/हैं।
(ii) यह ि	के मैंने	/हमने शपथ पत्र में यह पुष्टि की है कि इस कंपनी की आज की तारीख में कोई आस्तियां और देयताएं नहीं हैं।
की किंतु	पिछ , या ज	
2.	मैं/हग	म क्षतिपूर्ति करने का वचन देता हूं/देते हैं:
	(i)	कंपनी का नाम हटाने के पश्चात भविष्य में कंपनी पर होने वाले सभी विधिसम्मत दावों के दावेदारों को,
	(ii)	किसी व्यक्ति को जिसे कंपनी का नाम हटाने से कोई हानि हुआ हो।
	(iii)	उन दावेदारों को उनके सभी विधिसम्मत् दावों और देयताओं के लिए जो अब तक हमारे नोटिस में नहीं आए हैं और यदि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के अनुसरण में कंपनी का नाम हटाए जाने के बाद भी कोई दावा उत्पन्न होता है या देखने में आता है।
स्थान :		
तारीख :		
		(नाम, पिता का नाम, पता तथा हस्ताक्षर)
		(प्रत्येक निदेशक द्वारा दिया जाए)
साक्ष्य:		
		हस्ताक्षर :
	नाम:	
	पिता	का नाम:
	पता:	
	व्यवः	साय:
2.		हस्ताक्षर :
	नाम:	
	पिता	का नाम:
	पता:	
	<u>व्यव</u>	साय:

प्ररूप एसटीके-4

शपथ पत्र

(प्रत्येक निदेशक द्वारा व्यक्तिगत रूप से दिया जाए)

[नियम 4 के उपनियम (3) वे	के खंड (iii) के साथ प	ाठित धारा 248 की उप	धारा (2) के अनुसरण में]

1.	(जि	मसे इसके पश्चात "कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमितसे इसके पश्चात "कंपनी" कहा गया है) जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालयसे हैं, और कंपनी पहचान है, का/के निदेशकसत्यिनष्ठा से यह पुष्टि और घोषणा करते हैं कि:
	(i)	मैं/हमसुपुत्र/सुपुत्री/श्री/श्रीमतीडीआईएन/आयकर पैन/पासपोर्ट सं(किसी राजपत्रित अधिकारी या पूर्णकालिक व्यवसायरत व्यावसायिक जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट/कंपनी सचिव/लागत लेखाकार या कंपनी का पूर्णकालिक कंपनी सचिव द्वारा विहित रूप से साक्ष्यांकित आयकर पैन/पासपोर्ट की प्रति) तारीख(नियुक्ति की तारीख का उल्लेख करें) से ऊपर उल्लिखित कंपनी का निदेशक हूं।
	(ii)	मेरा वर्तमान आवसीय पता है (किसी राजपत्रित अधिकारी या पूर्णकालिक व्यवसायरत व्यावसायिक अर्थात् चार्टर्ड अकाउंटेंट/कंपनी सचिव/लागत लेखाकार द्वारा विहित रूप से साक्ष्यांकित साक्ष्य दस्तावेज की प्रति) (विकल्प के रूप में मजिस्ट्रेट के समक्ष हस्ताक्षर किया गया शपथ पत्र संलग्न किया जा सकता है।)
	(iii)	मेरा स्थाई पता है(किसी राजपत्रित अधिकारी या पूर्णकालिक वृत्तिक व्यावसायिक अर्थात् चार्टर्ड अकाउंटेंट/कंपनी सचिव/लागत लेखाकार द्वारा विहित रूप से साक्ष्यांकित साक्ष्य दस्तावेज की प्रति संलग्न है)। (विकल्प के रूप में मजिस्ट्रेट के समक्ष हस्ताक्षर किया गया शपथ पत्र संलग्न किया जा सकता है।)
	(iv)	कंपनी का वर्तमान में कोई बैंक खाता नहीं है।
	(v)	कंपनी (कंपनी के नाम का उल्लेख करें) की वर्तमान में कोई आस्तियां और देयताएं नहीं हैं।
	(vi)	कंपनी निगमन की तारीख से निष्क्रिय है/कंपनी ने निगमन के पश्चात व्यवसाय/प्रचालन/वृत्तिक क्रियाकलाप प्रारंभ किए किंतु पिछले वर्षों से कारणों से (कारण लिखें) निष्क्रिय है।
	(vii)	कंपनी पर वर्तमान में आयकर/बिक्रीकर/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों और अन्य केंद्रीय अथवा राज्य सरकार के विभागों/प्राधिकरणों अथवा अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के देय बकाया नहीं हैं।

2	मैं यह	A e	ula	करवा	÷	La
۷.	म यह	भा	પાષ્ટ	करता	হ	1 ૧૧

- (i) कंपनी के विरूद्ध कोई पूछताछ, तकनीकी संवीक्षा, निरीक्षण या जांच का आदेश नहीं दिया गया है या लंबित नहीं हैं;
- (ii) कंपनी या अधोहस्ताक्षरी के विरूद्ध इस अधिनियम या अन्य किसी अधिनियम के तहत किसी अपराध के लिए कोई अभियोजन या प्रशमन आवेदन लंबित नहीं हैं;
- (iii) सूचीकरण करार की गैर अनुपालना के लिए कंपनी को सूचीबद्ध या असूचीबद्ध नहीं किया गया हैं;
- (iv) यह कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए निगमित कंपनी नहीं है।
- (v) कंपनी में कोई प्रबंधन विवाद नहीं है या कंपनी पर प्रबंधन या शेयरधारिता संबंधी कोई मुकदमा लंबित नहीं है।
- (vi) किसी न्यायालय या अधिकरण या कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा दस्तावेजों की फाइलिंग स्थगित करने वाला कोई आदेश लागू नहीं है।
- (vii) अधिनियम की धारा 249 के अनुसार कंपनी को नाम हटाने के लिए आवेदन करने से रोका नहीं गया है।

में सत्यनिष्ठा से कहता हूं कि इस शपथ पत्र में कहीं गई बातें मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है तथा इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है।

1	हस्ताक्षर	 	•••					٠.	-	
				(अ	भि	ास	T	र्भ	ť)

सत्यापन -

मैं यह सत्यापित करता हूं कि इस शपथ पत्र में कहीं गई बातें मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

हस्ताक्षर

(अभिसाक्षी)

स्थान –

तारीख –

टिप्पण – धारा 449 के उपबंधों की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें मिथ्या साक्ष्य के लिए दण्ड का प्रावधान है।

प्ररूप सं. एसटीके – 5

सार्वजनिक सूचना

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (1) और उपधारा (4) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में]

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
कंपनी रजिस्ट्रार का कार्यालय
(कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय का पता)
सार्वजनिक सूचना सं तारीख
संदर्भ:
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (1) के तहत मैसर्स मैसर्स मैसर्स मैसर्स मैसर्स
1. यह नोटिस दिया जाता है कि कंपनी रजिस्ट्रार के पास यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि
(i) निम्नलिखित कंपनियों ने अपने निगमन के एक वर्ष के भीतर कारबार आरंभ नहीं किया है,
मैसर्स(कंपनियों के नाम लिखे)
मैसर्स
(ii) निम्नलिखित कंपनियों ने दो पूर्ववर्ती वित्त वर्षों में कोई कारबार या प्रचालन नहीं किया है और इस अवधि के भीतर धारा 455 के तहत निष्क्रिय कंपनी की स्थिति प्राप्त करने के लिए कोई आवेदन नहीं किया है।
मैसर्स
मैसर्स(कंपनी का नाम लिखें)
और यह प्रस्ताव है कि ऊपर उल्लिखित कंपनियों का नाम कंपनियों के रजिस्टर से हटाया/काटा जाए और जब तक अन्यथा कारण न हों, सूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर कथित कंपनी का विघटन किया जाए।
(2) यदि किसी व्यक्ति को कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर ऊपर उल्लिखित कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकता है।
कंपनी रजिस्ट्रार

प्ररूप संख्या एसटीके 6

सार्वजनिक सूचना

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में]

• • • • •

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

कंपनी रजिस्ट्रार का कार्यालय

(कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय का पता)

2. मैसर्स

3. मैसर्स

नाम हटाने का अनुरोध किया है।

- (1) इसके द्वारा यह सूचित दिया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के तहत कंपनी रजिस्ट्रार को ऊपर उल्लिखित कंपिनयों से कंपिन रजिस्टर से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त किया है कि वे उनकी कंपिन के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कंपिनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारबार नहीं कर पायी हैं और इस अविध के भीतर कंपिनी अधिनियम, 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कंपिनी की स्थिति प्राप्त करने का आवेदन नहीं किया है या कंपिनी ने निष्क्रिय कंपिनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कंपिनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कंपिनी रजिस्टर से अपना/अपने
- (2) तद्नुसार कंपनी रजिस्ट्रार, कंपनी रजिस्टर से ऊपर उल्लिखित कंपनियों का नाम हटाने का प्रस्ताव करता है।
- (3) यदि किसी व्यक्ति को कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपित्त है तो वह व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर ऊपर उल्लिखित कार्यालय के पते पर अपनी आपित्त भेज सकता है।

कंपनी रजिस्ट्रार

प्ररूप संख्या एसटीके 7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में]

....

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

कंपनी रजिस्ट्रार का कार्यालय

(कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय का पता)

तारीख

संदर्भ

कंपनी अधिनियम, 2013 और मैसर्स, सीआईएन के मामले में।
यह इस कार्यालय के तारीख कार्यालय सूचना संख्या एसआरएन द्वारा आवेदन (प्ररूप एसटीके 2)तारीख और तारीख को जारी प्ररूप एसटीके 5 में नोटिस के संबंध में है।
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स का नाम तारीख से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनी का विघटन हो गया है।

[फा. सं. 1/28/2013-सीएल-V]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December, 2016

- **G.S.R. 1174(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (2) and (4) of section 248 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) and in supersession of the Companies (Central Government) General Rules and Forms, 1956 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-
- **1. Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2. Definitions.-** (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -
- (a) "Act" means the Companies Act, 2013 (18 of 2013);
- (b) "Form" or "e-Form" means a non-electronic form or an electronic form annexed to these rules.

- (2) Words and expressions used in these rules but not defined and defined in the Act or in the Companies (Specification of Definitions Details) Rules, 2014, shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act or in the said rules.
- **3.** Removal of name of company from the Register on suo-motu basis.- (1) The Registrar of Companies may remove the name of a company from the register of companies in terms of sub-section (1) of section 248 of the Act:

Provided that following categories of companies shall not be removed from the register of companies under this rule and rule 4, namely:-

- (i) listed companies;
- (ii) companies that have been delisted due to non-compliance of listing regulations or listing agreement or any other statutory laws;
- (iii) vanishing companies;
- (iv) companies where inspection or investigation is ordered and being carried out or actions on such order are yet to be taken up or were completed but prosecutions arising out of such inspection or investigation are pending in the Court;
- (v) companies where notices under section 234 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or section 206 or section 207 of the Act have been issued by the Registrar or Inspector and reply thereto is pending or report under section 208 has not yet been submitted or follow up of instructions on report under section 208 is pending or where any prosecution arising out of such inquiry or scrutiny, if any, is pending with the Court;
- (vi) companies against which any prosecution for an offence is pending in any court;
- (vii) companies whose application for compounding is pending before the competent authority for compounding the offences committed by the company or any of its officers in default;
- (viii) companies, which have accepted public deposits which are either outstanding or the company is in default in repayment of the same;
- (ix) companies having charges which are pending for satisfaction; and
- (x) companies registered under section 25 of the Companies Act, 1956 or section 8 of the Act.

Explanation.- For the purposes of clause (iii), the expression "vanishing company" means a company, registered under the Act or previous company law or any other law for the time being in force and listed with Stock Exchange which has failed to file its returns with the Registrar of Companies and Stock Exchange for a consecutive period of two years, and is not maintaining its registered office at the address notified with the Registrar of Companies or Stock Exchange and none of its directors are traceable.

- (2) For the purpose of sub-rule (1), the Registrar shall give a notice in writing in Form STK 1 which shall be sent to all the directors of the company at the addresses available on record, by registered post with acknowledgement due or by speed post.
- (3) The notice shall contain the reasons on which the name of the company is to be removed from the register of companies and shall seek representations, if any, against the proposed action from the company and its Directors along with the copies of relevant documents, if any, within a period of thirty days from the date of the notice.
- **4. Application for removal of name of company.**—(1) An application for removal of name of the company under sub-section (2) of section 248 shall be made in Form STK-2 along with the fee of five thousand rupees.
- (2) Every application under sub-rule (1) shall accompany a no objection certificate from appropriate Regulatory Authority concerned in respect of following companies, namely:-
- (i) companies which have conducted or conducting non-banking financial and investment activities as referred to in the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) or rules and regulations thereunder;
- (ii) housing finance companies as referred to in the Housing Finance Companies (National Housing Bank) Directions, 2010 issued under the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987);

- (iii) insurance companies as referred to in the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) or rules and regulations thereunder;
- (iv) companies in the business of capital market intermediaries as referred to in the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) or rules and regulations thereunder;
- (v) companies engaged in collective investment schemes as referred to in the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) or rules and regulations thereunder;
- (vi) asset management companies as referred to in the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) or rules and regulations thereunder;
- (vii) any other company which is regulated under any other law for the time being in force.
- (3) The application in Form STK 2 shall be accompanied by -
- (i) indemnity bond duly notarised by every director in Form STK 3;
- (ii) a statement of accounts containing assets and liabilities of the company made up to a day, not more than thirty days before the date of application and certified by a Chartered Accountant;
- (iii) An affidavit in Form STK 4 by every director of the company;
- (iv) a copy of the special resolution duly certified by each of the directors of the company or consent of seventy five per cent of the members of the company in terms of paid up share capital as on the date of application;
- (v) a statement regarding pending litigations, if any, involving the company.
- **5. Manner of filing of application.–** (1) The application in Form STK 2 shall be signed by a director duly authorised by the Board in their behalf.
- (2) Where the director concerned does not have a registered digital signature certificate, a physical copy of the form duly filled in shall be signed manually by the director duly authorised in that behalf and shall be attached with the Form STK 2 while uploading the form.
- **6. Form to be certified.-** The Form STK 2 shall be certified by a Chartered Accountant in whole time practice or Company Secretary in whole time Practice or Cost Accountant in whole time practice, as the case may be.
- **Manner of publication of notice –** (1) The notice under sub-section (1) or sub-section (2) of section 248 shall be in Form STK 5 or STK 6, as the case may be, and be-
- (i) placed on the official website of the Ministry of Corporate Affairs on a separate link established on such website in this regard;
- (ii) published in the Official Gazette;
- (iii) published in English language in a leading English newspaper and at least once in vernacular language in a leading vernacular language newspaper, both having wide circulation in the State in which the registered office of the company is situated.

Provided that in case of any application made under sub-section (2) of section 248 of the Act, the company shall also place the application on its website, if any, till the disposal of the application.

- (2) The Registrar of Companies shall, simultaneously intimate the concerned regulatory authorities regulating the company, viz, the Income-tax authorities, central excise authorities and service-tax authorities having jurisdiction over the company, about the proposed action of removal or striking off the names of such companies and seek objections, if any, to be furnished within a period of thirty days from the date of issue of the letter of intimation and if no objections are received within thirty days from the respective authority, it shall be presumed that they have no objections to the proposed action of striking off or removal of name.
- 8. Manner of notarisation, appostilisation or consularisation of indemnity bond and declaration in case of foreign nationals or non-resident Indians:- For the purposes of these rules, if the person is a foreign national or non-resident Indian, the indemnity bond, and declaration shall be notarised or appostilised or consularised.

- **9. Notice of striking off and dissolution of company.** The Registrar shall cause a notice under subsection (5) of section 248 of striking off the name of the company from the register of companies and its dissolution to be published in the Official Gazette in Form STK 7 and the same shall also be placed on the official website of the Ministry of Corporate Affairs.
- **10. Applications or forms pending before Central Government.** Any application or pending proceeding for striking off or Form-FTE filed with the Registrar of Companies prior to the commencement of these rules but not disposed of by such authority for want of any information or document shall, on its submission, to the satisfaction of the authority, be disposed of in accordance with the rules made under the Companies Act, 1956 (1 of 1956).

T	TAT -	CTIZ 1	
Form	INO.	STK 1	

Notice by Registrar for removal of name of a company from the register of companies

[Pursuant to sub-section (1) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 3 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

Office of the Registrar Of Companies, (State)

(Address of ROC)

Letter No	Dated:
	Reference:
In the matter of M/s Ir	the matter of Companies Act, 2013
To,	

(1) Pursuant to sub-sections (1) and (2) of Section 248 of the Companies Act, 2013, notice is hereby given that as per available record:-

the company has failed to commence its business within one year of its incorporation; or

the company is not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has not made any application within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455.

the company has filed an application under sub-section (2) of section 248 for removing the name from the register of companies on the grounds mentioned in sub-section (1) of section 248.

(tick whichever is applicable)

- (2) Therefore, on the basis of aforesaid ground(s), I intend to remove the name of company from the register of companies and request you to send your representation along with copies of the relevant documents, if any, within thirty days from the date of receipt of this notice.
- (3) Unless a cause to the contrary is shown within the time period above mentioned, the name of the above mentioned company shall be liable to be removed from the register of companies. However, the directors of the company shall be liable for appropriate action under the Act.

Registrar of Companies

То

The Company/All Directors

Mailing address as per record available in Registrar of Companies Office

Copy to all directors: [in case the notice issued to the company only]

FORM NO. STK-2

[Pursuant to Section 248(2) of Companies Act, 2013 and Rule 4(1) of the Companies (Removal of Names of Companies from the



Application by company to ROC for removing its name from register of companies

Register of Companies) Rules, सत्यमेव जयते 2016]
Form language o English o Hindi
Refer the instruction kit for filing the form
1. (a) *Corporate identity number (CIN) of the company Pre-fill
(b) Global location number (GLN) of the company
2. (a) Name of the company
(b) Address of registered office of the company
(c) email id of the company
(d) Date of incorporation of the company
3. (a) *Whether the company is listed or not o Yes o No
(b) *Whether the company has been delisted o Yes o No
(If yes, attach a copy of relevant order for delisting from the concerned stock exchange)
*4. Whether the company's activities is/are regulated by a Sectoral Regulator like RBI, SEBI, IRDAI etc. under a special Act o Yes o No
(a) If Yes, specify Name of the regulator
(b) Registration Number
(c) Date of approval of regulatory body
5. *Whether special resolution is passed for removal of name o Yes o No
(a) *Specify the date of passing the resolution
(b) *If No, whether consent of seventy-five percent members in terms of paid- up share capital has been obtained and attached o Yes o No

6. (a)*Brief o	description of main obje	ts of the con	npany as per Memora	ındum of	Associatio	n (MOA)	
(b) *Brief des	scription of main busines	last carried	out by the company				<u> </u>
_							
7. Details	of director(s), Managi	ng Director, m	nanager, secretary, CEO	or CFO of tl	ne company	y	
· *Num	ber of director(s), Managing	Director, mana	ager, secretary, CEO or CF	0			
(In ca	se of director or Managing	Director, enter [Director identification nun		. Otherwise	provide Income	-tax permanent
	unt number (Income-tax PA						
* OIN or	◯Income-tax PAN ◯ Pa	ssport number		Pre-fi			
*Designation							
*Name							
Humo							
	ential address						
Line I							
Line II							
City		State			ISO count	ry code	
Country					Pin code		
8. (a)* Whet	her there are litigation	(s) pending	against or involving	the cor	npany or a	any of its direc	ctors
o Y	es o No						
(h) *Doto	" in warment of nonding	Pri-skien					
. ,	ils in respect of pending						
(In cas	se of more than one litig	ation, attach	a separate sheet givi	ng partic	ulars for al	ll such litigatio	ons)
(i) Act under	which litigation is pend	ina					
(I) Act under	Which illigation is pend	ing					
(ii) Name of t	the authority before whi	h it is pendir	na				
(11)	and dathone, being	511 16 15 P =	9				
(iii) Case num							
(iv) Subject	matter						

9. I,*	son/daughter of	MD/Director of hereby		
-	nis application for removing the name of the company from	·		
the Act	and declare that:			
(i)	I have been authorized by the Board of Directors' resolut this application for removal of name of the company from the			
(ii)	The application has been in accordance with the condit of section 248 and sub-section (1) of section 249;	tions mentioned under sub-section (1) and (2)		
(iii)	There is no inspection or investigation ordered and carried carried out against the company and where inspection prosecution is pending in any court arising out of such inspection.	or investigation have been carried out, no		
(iv)	iv) The company is neither having any public deposits which are outstanding nor the company is in default in its repayment or interest thereon;			
(v)	The company does not have any outstanding loans	s, secured or unsecured;		
(vi)	The company does not have any dues towards income other tax or duty, by whatever name called, payable to the authority or local authority;			
(vii)) All the other liabilities of the company have been settled or	r discharged or extinguished;		
(viii	 i) All the requirements of the Act and rules made thereunde company from the register of companies and matters inc complied with; 			
(ix)	To the best of my knowledge and belief, the information governect and complete;	iven in this application and its attachments is		
(x)	the requisite fee has been paid.			
	10 . I/We understand that I/We shall be liable for punishment as provided under section 251 of the Companies Act, 2013 if the application is found to be fraudulent at any stage within the meaning of section 251 read with sections 248 and 249 of the Companies Act, 2013.			
Attachments				
	List of attachments			
	2.51.51.41.43			
thi	A statement of accounts showing the assets and bilities of the Company made up to a day, not more than irty days before the date of application and certified by Chartered Accountant;	Attach		
	Copy of Board resolution authorizing the filing of this oplication;	Attach		
ob	Copy of special resolution passed or copies of consent obtained under sub-section (2) of section 248, as oplicable;	Attach		
	ndemnity bonds [to be given individually or collectively the director(s)] in Form No. STK-3;	Attach		
5. *	Affidavit in Form No. STK-4	Attach		

Copy of order of the concerned regulatory authority, if any, approving the filing of this application;	Attach		
7. Copy of relevant order for delisting, if any, from the concerned Stock Exchange;	Attach		
8. Other attachments as per applicable Rule;	Attach		
9 . Optional attachment(s), if any.	Attach		
	Remove attachments		
To be digitally signed by DSC BOX			
*Designation			
*Director identification number of the director; or DIN or PAN of the manager or CEO or CFO; or Membership number of the Company secretary			
Certificate by practicing pr	ofessional		
I declare that I have been duly engaged for the purpose of certification of this form. It is hereby certified that I have gone through the provisions of the Companies Act, 2013 and Rules thereunder relevant to this form and I have verified the above particulars (including attachment(s)) from the original records maintained by the Company/applicant which is subject matter of this form and found them to be true, correct and complete and no information material to this form has been suppressed.			
To be digitally signed by			
Chartered accountant (in whole-time practice) or Cost accountant (in whole-time practice) or Company secretary (in whole-time practice)	DSC BOX		
Whether associate or fellow O Associate O Fellow Membership number Certificate	(Radio Button) of practice number		
Note: Attention is also drawn to provision of section 448 statement and certification.	which provides for punishment for false		

For office use only:		Affix filing details	
eForm Service request number (SRN)		eForm filing date	(DD/MM/
Digital signature of the authorising This e-Form is hereby approved	officer		
This e-Form is hereby rejected	Street .	Confirm submission	
Date of signing		(DD/MM/YYYY)	

Form No. STK - 3

Indemnity Bond

(To be drawn on Stamp Paper of appropriate value)

(to be given individually or collectively by every director)

[Pursuant to clause (i) of sub-rule (3) of rule 4 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

To,

The Registrar of Companies,

- (i) I/WeS/o/D/o/W/o Shri.....am/are Director(s) of this Company.
- (ii) That I/We have made an affidavit confirming that the company does not have any assets and liabilities as on date.
- (iii) Further, the Company has been inoperative from the date of its incorporation/The Company commenced business/operations/commercial activity after incorporation but has been inoperative for the pastyear(s) (strike out whichever is not applicable). Thus the Company is defunct and I request the Registrar of Companies,...... to strike off the name of the Company from the register of companies under Section 248 of the Companies Act, 2013.

I/We do hereby undertake to indemnify : -

(i	the claimants for all lawful claims against the company arising in future after the striking off the name of the Company.
(ii	i) any person for any losses that may arise pursuant to striking off the name of the Company.
(iii	the claimants for all lawful claims and liabilities, which have not come to our notice up to this stage, and if any claim arises or observed even after the name of the Company has been struck off in terms of Section 248 of the Companies Act, 2013.
Place:	
Date:	
	(Name, Father's name, Address and Signature)
	(To be given by every Director)
WITN	ESSES:
1.	Signature:
	Name:
	Father's name:
	Address:
	Occupation:
2.	Signature:
	Name:
	Father's name:
	Address:
	Occupation:

FORM No. STK -4

AFFIDAVIT

		(to be given individually by every Director)
[Pursu	ant to	sub section (2) of section 248 read with clause (iii) of sub-rule (3) of Rule 4]
1.	inco havi	Ve
	(i)	I/ We
	(ii)	My present residential address is (copy of documentary evidence duly attested by a Gazetted Officer or a whole time practicing professional viz Chartered Accountant/Company Secretary/Cost Accountant) is enclosed (Alternatively, an affidavit sworn before Magistrate may be enclosed).
	(iii)	My permanent address is
	(iv)	The Company does not maintain any bank account as on date.
	(v)	The Company (mention name of the Company) does not have any assets and liabilities as on date.
	(vi)	The Company has been inoperative from the date of its incorporation/The Company commenced business/operations/commercial activity after incorporation but has been inoperative for the past year(s) due to following reasons (give the reasons here).
	(vii)	As on date, the Company does not have any dues towards Income Tax/Sales Tax/Central Excise/Banks and Financial Institutions; and other Central or State Government Departments/Authorities or any Local Authorities.

[भाग II-खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 25

2. I further affirm that -

- (i) No inquiry, technical scrutiny, inspection or investigation is ordered or pending against the company;
- (ii) No prosecution or any compounding application for any offence under the Act or under any of the other Acts is pending against the company or against the undersigned;
- (iii) The company is neither listed nor delisted for non-compliance of listing agreement;
- (iv) The company is not a company incorporated for charitable purposes under section 8 of the Companies Act, 2013 or section 25 of the Companies Act, 1956;
- (v) The company does not have any management disputes or there is no litigation pending with regard to management or shareholding of the company;
- (vi) No order is in operation staying filing of the documents by a court or tribunal or any other competent authority;
- (vii) The company is not prevented from making the applications for strike off as mentioned in section 249 of the Act.

I solemnly state that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and belief and that it conceals nothing and that no part of it is false.

	Signature:
	(Deponent)
Verification:-	
I verify that the contents of this affidavit are true to the	best of my knowledge and belief.
Place:	Signature
	(Deponent)
Date:	
Note: Attention is also drawn to provisions of section false evidence.	n 449 which provide for punishment for

FORM No. STK - 5 PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (1) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS Office of the Registrar Of Companies (Address of RoC)				
Public	ic Notice No Date:			
	Reference: n the matter of striking off of companies under section 248 (1) of the Companies Act of M/s, M/s, M/s			
1.	Notice is hereby given that the Registrar of Companies has a reasonable cause to believe that -			
(i)	The following companies have not commenced business within one year of their incorporation.			
	M/s (indicate names of companies)			
	M/s			
(ii)	The following companies have not been carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and have not made any application within such period for obtaining the status of dormant company under section 455.			
	M/s			
	M/s (indicate name of companies)			
	And, therefore, proposes to remove/strike off the names of the above mentioned companies from the register of companies and dissolve them unless a cause is shown to the contrary, within thirty days from the date of this notice.			
2.	Any person objecting to the proposed removal/striking off of name of the companies from the register of companies may send his/her objection to the office address mentioned hereabove within thirty days from the date of publication of this notice.			
	Registrar of Companies			

[भाग II-खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 27

FORM No. STK - 6 PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS Office of the Registrar Of Companies (Address of RoC)

Public Notice No	Date:

Reference:

In the matter of striking off or removal of names of companies under section 248 (2) of the Companies Act, 2013 in respect of :

- 1. M/s._____,
- 2. M/s._____,
- 3. M/s_____

Notice is hereby given that the Registrar of Companies had received applications from the above mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name (s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company (ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application (s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

- (2) Accordingly, the Registrar of Companies proposes to remove or strike off the names of the above mentioned companies from the Register of Companies.
- (3) Any person objecting to the proposed removal or striking off of name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

Registrar of Companies

FORM No. STK - 7	
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION	V

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
Office of the Registrar Of Companies
(Address of RoC)
Dated:
Reference:
In the matter of Companies Act, 2013 and of M/s, CIN
This is with respect to this Office's Notice No dated application (Form STK 2) dated vide SRN
Registrar of Companies
Registrar of Companies/Additional Registrar of Companies/Joint Registrar of Companies/Companies/Deputy Registrar of Companies/Assistant Registrar of Companies
Mailing Address of the company as per record available in Registrar of Companies office:

[F. No. 1/28/2013-CL.V] AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.